न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 269/18 **निर्णय दिनांकः 13.05.2019**

1. गोरधनसिंह पुत्र भवंरसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा बास हाल शेरपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. सोहनराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी चक 5 केएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 02—02—2017
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 02—02—2017 जिसके द्वारा अपीलांट्को आवंटित भूमि का विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तत्कालीन आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 127/10 व मुरब्बा नम्बर 127/9 में 19 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसका आवंटन आदेश जारी करते हुए मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया तथा अपीलांट ने तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई। तभी से अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमि का आवंटन अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सलाहकार समिति की राय से चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 127/10 व मुरब्बा नम्बर 127/9 में 19 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। जिसका आवंटन आदेश जारी करते हुए मौके पर कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया तथा अपीलांट ने तमाम राशि भी खजानाराज में जमा करवा दी गई। तभी से अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमि में से चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 127/9 के किला नम्बर 16 ता 19, 21 ता 25 की 9 बीघा भूमि का आवंटन एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि प्रकरण में तमाम दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित व अपीलांट के धारण की भूमि है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एकतरफा तौर पर कर दिया गया। कानूनन जब एक बार किसी आराजी का आवंटन होने के पश्चात् उसी रकबे का दुबारा आवंटन नहीं किया जा सकता। चूंकि वादगत् आराजी का आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से खारिज योग्य व प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई व वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों अर्थात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य प्रार्थना पत्र कानाराम के प्रार्थना पत्रों की जॉच करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन का पात्र मानते हुए रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र यह अंकित किया गया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तत तमाम सबूतों के अनुसार राजस्थान का निवासी, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, सिलिंग सीमा की जॉच के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी जैर की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकारी भी प्राप्त किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट के नाम हो चुका है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के आवंटन का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा उक्त भूमि के एवज में अन्य भूमि का आवंटन प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में

अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील विलम्ब से पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। चूंकि अपीलांट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 127/9 की 9 बीघा आवंटित भूमि की एवज में पूर्व में ही अन्य भूमि आवंटन करवा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील लोकस स्टेण्डाई व गुणावगुण पर खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—02—2017 के विरूद्व अपील दिनांक 24—07—2018 को पेश की गई है। अपीलाधीन निर्णय से पूर्व आवंटन अधिकारी द्वारा हितबद्व पक्षकारों को सूचित नहीं किया गया था। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। आवंटन के पश्चात कब्जा सुपुर्द करने की कार्यवाही से अपीलांट को निर्णय की जानकारी हुई। विलम्ब के कारण संतोषजनक होने पर विलम्ब का शमन किया जाता है।

अपीलांट विवादित भूमि को अपने पक्ष में दिनांक 04—06—1985 को आवंटित होना बता रहा है परन्तु उक्त आवंटन का अमल करवाने तथा आगामी 30 वर्ष के दौरान देय राशि राज्य सरकार के खजाने में जमा करवाकर खातेदारी सनद् प्राप्त करने से संबंधित कार्यवाही के संबंध में स्पष्ट खुलासा नहीं किया। आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति में भूमि के विवरण के बारे में बार—बार कॉट—छॉट की गई है। इसी संदर्भ में दिनांक 22—10—1986 की आदेशिका में उल्लेख किया गया है कि उसे आवंटित रकबा किसी अन्य को आवंटित किया जा चुका है अतः उसे चक 1 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 107/22 में 8 बीघा तथा मुरब्बा

नम्बर 10715 में 11 बीघा रकबा आवंटित किया गया। इस प्रकार अपील में उल्लेखित भूमि का अपीलांट के पक्ष में किया गया आवंटन विधि सम्मत होने, आवंटन के आधार पर कब्जा देने तथा खातेदारी सनद् का पात्र होने से संबंधित कोई सबूत पत्रावली में नहीं है। जिसके आधार पर विवादित भूमि पर अपीलांट का हित होना प्रकट होता हो।

रेस्पोडेन्ट का कहना है कि अपीलांट को उसकी पात्रता के आधार पर चक 1 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 107/22 व मुरब्बा नम्बर 107/15 की कुल 10 बीघा भूमि दिनांक 22—10—1986 को आवंटित हो जाने के कारण इससे पूर्व में दिनांक 04—06—1985 के आवंटन का अब अमल करने या अन्य को आवंटित हो जाने के कारण पूर्व में गलती से आवंटित भूमि की पात्रता समाप्त हो चुकी है।

आवंटन पत्रावली में शामिल दस्तावेजों के अनुसार रेस्पोडेन्ट सोहनराम द्वारा चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 127/9 में 14 बीघा 10 बिस्वा रकबा के आवंटन के लिए दिनांक 09—02—2000 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र अगले 17 साल तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अचानक दिनांक 02—02—2017 को पूर्व में दिनांक 09—02—2000 को प्रस्तुत आवेदन पर रेस्पोडेन्ट सोहनराम को चक 3 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 127/09 की 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि के विशेष आवंटन श्रेणी में आवंटन करने का निर्णय किया गया तथा दिनांक 18—04—2017 को उक्त आवंटन कर दिया गया। पत्रावली में विशेष आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के तहत भूमि के गजट में प्रकाशन को स्थानीय स्तर पर सूचित करना, एक से अधिक आवेदनों की स्थिति में प्रतिस्पर्धात्मक दरें तथा प्राथमिकता का निर्धारण करना एवं आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा निर्णय लिये जाने से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। रेस्पोडेन्ट सोहनराम को किया गया उक्त आवंटन बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा मनमाना है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02—02—2017 जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट सोहनराम के पक्ष में आवंटन किया गया है, निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरढ़ को रिमाण्ड

किया जाता है कि वे विशेष आवंटन के लिये निर्धारित प्रक्रिया की अक्षरशः पालना करते हुए प्रकरण का पुनः निस्तारण करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर